DFO/CF द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जॉच सूची

कटनी जिले के बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि रकवा 7.45 हे0 भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कटनी को उपयोग में देने हेतु संशोशित के.एम.एल.फाइल से प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिनांक 21/02/2021 को किया गया, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	CF/DFO(T) द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट
1.	सीमा हेक्टेयर	P.F. Comp.No.P-226, P-225 **Total Area 7.45 Ha.**
2.	प्रस्ताव में शामिल व्यपवर्तित वनभूमि के अक्षांश–देशांश	

1	N 23°46'24.40"	E 80°02'40.70"	13	N 23°46'20.10"	E 80°02'52.70"	25	N 23°46'07.00"	E 80°02'46.40"
2	N 23°46'23.10"	E 80°02'41.30"	14	N 23°46'19.70"	E 80°02'50.00"	26	N 23°46'08.10"	E 80°02'49.50"
3	N 23°46'22.60"	E 80°02'44.00"	15	N 23°46'18.80"	E 80°02'48.20"	27	N 23°46'07.50"	E 80°02'48.40"
4	N 23°46'22.70"	E 80°02'46.20"	16	N 23°46'17.60"	E 80°02'45.80"	28	N 23°46'05.70"	E 80°02'46.00"
5	N 23°46'23.20"	E 80°02'49.60"	17	N 23°46'16.90"	E 80°02'44.30"	29	N 23°46'04.90"	E 80°02'44.10"
6	N 23°46'23.20"	E 80°02'52.20"	18	N 23°46'16.30"	E 80°02'44.00"	30	N 23°46'04.30"	E 80°02'45.00"
7	N 23°46'21.90"	E 80°02'57.40"	19	N 23°46'15.50"	E 80°02'43.20"	31	N 23°46'03.60"	E 80°02'44.80"
8	N 23°46'22.00"	E 80°02'58.70"	20	N 23°46'14.80"	E 80°02'42.40"	32	N 23°46'03.60"	E 80°02'44.10"
9	N 23°46'21.00"	E 80°02'57.90"	21	N 23°46'14.30"	E 80°02'41.30"	33	N 23°46'01.90"	E 80°02'43.70"
10	N 23°46'20.60"	E 80°02'57.10"	22	N 23°46'04.20"	E 80°02'42.40"	34	N 23°46'01.10"	E 80°02'44.20"
11	N 23°46'20.20"	E 80°02'55.90"	23	N 23°46'05.40"	E 80°02'44.10"	35	N 23°46'01.10"	E 80°02'42.90"
12	N 23°46'20.30"	E 80°02'54.50"	24	N 23°46'06.70"	E 80°02'45.40"			

3.	वन भूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति।	संरक्षित वन भूमि है।
4.	अस्थायी केर्न्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	उपयोगकर्ता एजेंसी के साथ उपवनमंडलाधिकारी पश्चिम कटनी द्वारा सिंहुड़ी जलाशय में प्रभावित वन भूमि का आवेदक संस्था द्वारा अस्थाई रूप से स्थापित केन्स में प्रत्येक केन्स की जी0पी0एस0 रीडिंग ली गई जो कि बिन्दु क्रमांक–02 में दर्शायी गई है।
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	नही ।
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।	प्रस्तावित वन भूमि में उपयोगकर्त्ता एजेन्सी द्वारा कोई भी गैरवानिकी कार्य नही किया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता / प्रजाति संरचना आदि.	बिगड़े वनों का सुधार कार्य वृत्त, मिश्रित वन, पहाडी एवं चट्टान, साईट क्वालिटी–IV B एवं घनत्व 0.4

8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवो की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	आवेदित वनकक्ष अंतर्गत चीतल एवं जंगली सुअर कभी–कभी प्रत्यक्ष देखे जा सकतें है।
9.	वनस्पति/ पशुवर्ग या क्षेत्र मे किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई भी अद्वितीय परिस्थितिक तंत्र मौजूद नही है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने मे कामयाब रहे है तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण से मौके पर उपलब्ध मृदा में नमी तथा जलाशय से लगे वन क्षेत्र में मौजूद सूक्ष्म एवं सरीसर्प प्रजातियों में वृद्वि संभव होगी।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासक या धार्मिक महत्व का क्षेत्र नही है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/ परिवार का निर्भरता	उपरोक्त वन भूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता पर कोई भी प्रभाव नही होगा।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नही है।
14.	वहाँ किसी भी पुनर्वास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है? वहाँ विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण में प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा ही उपरोक्त जलाशय के निर्माण की मॉग की गई है तथा इस जलाशय के निर्माण पर किसी भी व्यक्तियों द्वारा असहमति व्यक्त नही की गई है।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर–वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगडी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर–वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले दोगुने क्षेत्र ग्राम देवरीभार ख0न0–280/2 बड़े झाड़ का जंगल मद रकवा 31.0 हे0 में से 14.90 हे0 क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण योजना तैयार की गई है, जो कि वन कक्ष क्रमांक पी0–254 से लगभग 14 कि0मी0 की दूरी पर है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही है। संरक्षित क्षेत्र (पन्ना टाईगर रिजर्व) की दूरी लगभग 70 कि0मी0 से अधिक है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण में प्रभावित वन भूमि पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई भी दावा नही किया गया है। जिसके संबंध में कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है, जो कि आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है।
18.	परियोजना के पास के इलाके मे रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	उक्त जलाशय के निर्माण से ग्रामवासियों को निस्तार हेतु पानी उपलब्ध रहेगा तथा समय–समय पर खेती के लिये सिंचाई का भी लाभ प्राप्त होगा तथा वन क्षेत्र में रहने वाली वन्यप्राणियों को भी पीने के पानी की उपलब्धता बनी रहेगी।

19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है, या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नही है।
20.	गैर–साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइड स्पेसिफिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाणपत्र	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा 7.45 हे0 वन भूमि की उपयोगिता बावत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्वि को बचाने की कोई गुंजाइश।	प्रस्तावित वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले आवेदक संस्था द्वारा ग्राम देवरीभार ख0न0–280/2 रकवा 31.00 हे0 भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के आदेश प्रकरण कमांक/48/अ–19/2015–16 दिनांक 02.09.2016 से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई है।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे ।	सिंहुड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की हानि राशि 13,04,538/– निर्धारित की गई है। जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले वृक्षों के हानि की गणना उपवनमंडलाधिकारी पश्चिम कटनी एवं परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद द्वारा की गई है।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ वनमंडलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।	सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण से ग्रामवासियों को निस्तार एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध रहेगा तथा जलाशय से लगे वन क्षेत्र के वन्यप्राणियों को पीने के पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। अतः जनसामान्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त परियोजना को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान – कटनी
दिनांक –23/03/2021

23/03/21
(आर.सी.विश्वकर्मा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, कटनी